

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 14073/2016

राजाराम पुत्र श्री बनवारी लाल, निवासी 12/5, मुक्ता प्रसाद कॉलोनी, बीकानेर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, मार्फत प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर
2. महानिरीक्षक पुलिस, बीकानेर रेंज, बीकानेर
3. जिला पुलिस अधीक्षक, बीकानेर
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, बीकानेर विभागीय जाँच अधिकारी

-----उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता(गण) की ओर से : श्री जी.आर. पूनिया, वरिष्ठ अधिवक्ता,
डॉ. शांति चौधरी और श्री संजय रेवर
द्वारा सहयोग प्राप्त।

उत्तरदाता(गण) की ओर से : श्री राज सिंह भाटी, श्री रितु राज सिंह
भाटी के लिए।

न्यायमूर्ति दिनेश मेहता**आदेश****रिपोर्ट करने योग्य****25/02/2025**

1. याचिकाकर्ता ने पुलिस उपाधीक्षक द्वारा पारित दिनांक 14.10.2014 के आदेश (अनुलग्नक-12) से व्यथित होकर इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसके द्वारा उसे सेवाओं से बर्खास्त कर दिया गया है, साथ ही दिनांक 03.10.2016 के आदेश से भी, जिसके द्वारा उसके खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया गया है।
 2. मामले के तथ्य कम से कम चौंकाने वाले हैं – वे खुलासा करते हैं कि कैसे उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के खिलाफ, व्यावहारिक रूप से किसी भी साक्ष्य या सामग्री की अनुपस्थिति में कार्यवाही की है। केवल इसलिए, क्योंकि वह नरेश नामक एक व्यक्ति का चाचा था, जिसकी ओर से दूसरे व्यक्ति (सुखदेव) को कांस्टेबल की भर्ती के लिए आयोजित दौड़ में भाग लेते हुए पकड़ा गया था।
-

3. अशुभ दिन यानी 13.04.2013 को, भर्ती प्रक्रिया का अभिन्न अंग होने के नाते दौड़ स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय स्टेडियम, बीकानेर (इसके बाद 'विश्वविद्यालय' कहा गया है) में आयोजित की जा रही थी, जिसके दौरान एक शिकायत के परिणामस्वरूप, उत्तरदाताओं को पता चला कि चेस्ट नंबर 407 पहने हुए एक व्यक्ति वास्तविक उम्मीदवार का प्रतिरूपण कर रहा था और दौड़ में भाग ले रहा था। उक्त प्रतिरूपक – सुखदेव को बाद में रोका गया और पूछताछ करने पर, यह पता चला कि वह नरेश के स्थान पर ऐसा कर रहा था।

4. उक्त नरेश के खिलाफ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट याचिकाकर्ता और प्रतिरूपक को भी आलिप्त करते हुए पंजीकृत की गई।

5. उत्तरदाताओं ने पहले पुलिस उपाधीक्षक द्वारा प्रारंभिक जांच कराई, जिसने दिनांक 17.09.2013 की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की और याचिकाकर्ता को क्लीन चिट दी, यह दर्ज करते हुए कि 13.04.2013 को, याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के ट्रैक पर उपस्थित नहीं था और बल्कि पुलिस लाइंस में अन्य भर्ती (जेल प्रहरी) में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में व्यस्त था।

6. हालाँकि, उत्तरदाता रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे और एक और प्रारंभिक जांच का आदेश दिया गया। इस बार दिनांक 11.11.2013 की एक रिपोर्ट दूसरे पुलिस उपाधीक्षक द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसने याचिकाकर्ता को भी स्टेडियम में या उसके आसपास अनुपस्थित पाया। हालाँकि, उसने यह आशंका व्यक्त की कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार (नरेश) की मदद करने की स्थिति में था। रिपोर्ट के उद्धरण का पुनरुत्पादन अनुचित नहीं होगा:—

“दिनांक 13-4-13 को घटना के समय श्री राजाराम हेड कानि. 18 की स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के स्टेडियम में द्वितीय चरण पीईटी (दौड़) ट्रैक पर मौजूदगी नहीं पाई गई। श्री राजाराम हेड कानि. 18 घटना के समय बीकानेर में जेल प्रहरियों की भर्ती परीक्षा में जाबते की झूठी लगाने हेतु पुलिस लाइन में मौजूद थे जो घटना के बाद उच्चाधिकारियों के द्वारा बुलाने पर स्टेडियम पर गए। प्रारंभिक जांच से श्री राजाराम हेड कानि. 18 का घटना में प्रत्यक्ष रूप से शरीक होना नहीं पाया गया, किन्तु कथित आरोपी नरेश बिश्रोई राजाराम हेड कानि. का भतीजा है तथा सुखदेव कानि. स्वजातीय बंधु है, क्योंकि राजाराम हेड कानि. पुलिस लाइन में हवलदार मेजर के पद पर इस घटनाक्रम के दौरान पदस्थापित था इसलिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य जो बनते हैं, वह उसकी भूमिका को संदिग्ध बनाते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से यह माना जा सकता है कि राजाराम हेड कानि. अपने पद के प्रभाव से कथित आरोपियों की मदद करने की स्थिति में रहा है। अतः समस्त जांच से एक तो राजाराम हेड कानि. इस घटना के प्रकरण में गिरफ्तार हुआ है तथा दूसरा यह मामला राजाराम हेड कानि. के विरुद्ध परिस्थितिजन्य व्यवहार से भी आंशिक रूप से प्रमाणित है।”

7. इस बीच, याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया और बाद में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 (इसके बाद 'नियम 1958' कहा गया है) के नियम 16 के तहत उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई।
 8. याचिकाकर्ता पर दिनांक 21.04.2014 के आरोपों के ज्ञापन के साथ एक आरोप पत्र तामील किया गया, जिसमें उसके खिलाफ दो आरोप लगाए गए थे, पहला, अपने भतीजे – नरेश को अनुचित लाभ देने की दृष्टि से प्रतिरूपक सुखदेव के साथ मिलीभगत में याचिकाकर्ता की कथित संलिप्तता से संबंधित था, जिसने दौड़ में भाग लिया, जबकि दूसरा आरोप अखबारों में ऐसी खबर प्रकाशित होने के कारण विभाग की छवि को नुकसान से संबंधित था।
 9. एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसके समक्ष याचिकाकर्ता ने सभी आरोपों और शुल्कों को अस्वीकार करते हुए अपना प्रतिनिधित्व/जवाब दायर किया; याचिकाकर्ता को एक बचाव वकील की अनुमति दी गई, जिसने गवाहों से जिरह की और याचिकाकर्ता के मामले का बचाव किया।
 10. जांच अधिकारी ने दिनांक 10.10.2014 की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी – पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा जारी दिनांक 10.10.2014 के एक नोटिस के साथ याचिकाकर्ता को प्रदान की गई, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए दोनों आरोप सिद्ध पाए गए।
 11. अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने जवाब दाखिल करने के लिए केवल तीन दिन का समय देते हुए, याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया कि नियम 1958 के नियम 14 के खंड (iv) से (vii) में निर्धारित बड़ा दंड उस पर क्यों न लगाया जाए?
 12. याचिकाकर्ता ने नोटिस का जवाब दायर किया और निर्दोष होने का तर्क दिया, लेकिन उत्तरदाता संख्या 3 ने उसी दिन (14.10.2014) आदेश पारित करने में जल्दबाजी की और याचिकाकर्ता को सेवाओं से बर्खास्त कर दिया।
 13. याचिकाकर्ता ने बर्खास्तगी के उपरोक्त आदेश के खिलाफ एक अपील दायर की, जिसे अपीलीय प्राधिकारी ने अपने दिनांक 03.10.2016 के आदेश द्वारा भी खारिज कर दिया।
 14. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूनिया ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिशोध के रूप में कार्यवाही की है और उसके खिलाफ कोई साक्ष्य या सामग्री नहीं होने के बावजूद, पहले, जांच अधिकारी ने दोनों
-

आरोपों को सिद्ध पाया और उसके बाद, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने भी याचिकाकर्ता के जवाब/प्रतिनिधित्व पर विचार किए बिना, सेवा से बर्खास्तगी का चरम दंड लगाया।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अपीलीय प्राधिकारी ने भी तथ्यात्मक सार को उसके सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया और याचिकाकर्ता की अपील को गैर-वक्ता और निराधार आदेश के साथ यांत्रिक रूप से खारिज कर दिया।

16. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने न्यायालय को दिनांक 10.10.2014 की जांच रिपोर्ट के माध्यम से मार्गदर्शन किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि हालाँकि सभी गवाहों PW-1 से PW-22 ने एकमत से कहा था कि जब उक्त सुखदेव दौड़ में भाग ले रहा था, तब याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय के ट्रैक पर उपलब्ध नहीं था, फिर भी, जांच अधिकारी ने दोनों आरोपों को सिद्ध माना था।

17. उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह केवल PW-21 – शिवभगवान थे, जिन्होंने याचिकाकर्ता के खिलाफ कुछ गवाही दी थी और वह भी तथाकथित परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस गवाह (PW-21) ने भी अनुचित दबाव डालने की स्थिति में याचिकाकर्ता के होने का दावा करने से परे कुछ भी नहीं कहा था - लेकिन इस संबंध में कोई साक्ष्य पेश/उत्पादित नहीं किया गया था।

18. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क दिया कि दिनांक 10.10.2014 की जांच रिपोर्ट, शामिल तथ्यों और मामले में पेश किए गए साक्ष्य के स्पष्ट रूप से विपरीत है और जोड़ा कि ऐसी रिपोर्ट पर आधारित आदेश रद्द और अपास्त किए जाने योग्य हैं।

19. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को अपने भतीजे – नरेश की गलती या यहां तक कि अपराध के लिए तब तक दंडित नहीं किया जा सकता था, जब तक कि उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करने वाली कुछ सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई जाती। न्यायालय का ध्यान विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीसीपीएनडीटी अधिनियम मामले), बीकानेर द्वारा पारित दिनांक 24.03.2018 के आदेश की ओर भी आकर्षित किया गया, जिसके द्वारा न केवल याचिकाकर्ता बल्कि उसके भतीजे – नरेश और कथित प्रतिरूपक - सुखदेव को भी बरी कर दिया गया है।

20. उत्तरदाता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने, दूसरी ओर, प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता हेड-कांस्टेबल होने के कारण भर्ती प्रक्रिया को प्रभावित करने की स्थिति में था, जो उसने वास्तव में किया। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता की विश्वविद्यालय तक आवाजाही दैनिक डायरी (रोज़नामचा) में पाई जाती है और ऐसे निष्कर्ष के सामने, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता विश्वविद्यालय में ट्रैक पर मौजूद नहीं था, जबकि उसके भतीजे को दौड़ में भाग लेना था।

21. विद्वान अधिवक्ता ने अंत में तर्क दिया कि किसी भी स्थिति में विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क साक्ष्य की सराहना के दायरे में हैं, जिससे इस न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए परहेज करना चाहिए।

22. पुनः उत्तर में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पूनिया ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 04.05.2023 को एक अतिरिक्त शपथ पत्र दायर किया गया है, जिसके साथ एक ड्यूटी चार्ट रखा गया है, जो स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि याचिकाकर्ता की ड्यूटी पुलिस लाइंस में एक अन्य भर्ती (जेल प्रहरी, 2013) की देखरेख के लिए थी, न कि विश्वविद्यालय में।

23. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा दर्ज किया गया निष्कर्ष कि दिनांक 13.04.2013 की दैनिक डायरी (रोज़नामचा) विश्वविद्यालय तक याचिकाकर्ता की आवाजाही को दर्ज करती है, तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने न्यायालय को रोज़नामचा रिपोर्ट (अनुलग्नक-14) के माध्यम से ले गए और दिखाया कि याचिकाकर्ता का नाम उसमें उल्लिखित नहीं है।

24. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

25. जहाँ तक 15 दिन का नोटिस देने की अनिवार्य आवश्यकता के उल्लंघन के तर्क का सवाल है, इस न्यायालय के अनुसार, चूंकि याचिकाकर्ता ने जवाब दायर किया था, ऐसा तर्क ज्यादा मायने नहीं रखता है।

26. हालाँकि, यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश की निष्पक्षता या तर्कसंगतता के मापदंड पर जांच की जाती है, तो यह बुरी तरह विफल हो जाता है।

27. अपीलीय प्राधिकारी का आदेश भी न्यायालय को समान रूप से निराश करता है, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी तर्क पर विचार नहीं किया गया है और दो पंक्ति के आदेश में याचिकाकर्ता की अपील खारिज कर दी गई है।

28. इस न्यायालय के अनुसार, जब सभी गवाहों ने, यहाँ तक कि PW-21 ने भी याचिकाकर्ता की मैदान/ट्रक पर उपस्थिति को नकार दिया था, तो याचिकाकर्ता के खिलाफ दोनों आरोपों को सिद्ध मानने वाली जांच रिपोर्ट को मान्यता नहीं दी जा सकती है।

29. सामान्य तौर पर, यह न्यायालय अपनी रिट अधिकारिता में तथ्य खोजने वाले अभ्यास या साक्ष्य की सराहना करने में धीमा रहेगा; लेकिन वर्तमान मामले में, यदि दिनांक 10.10.2014 की जांच रिपोर्ट को देखा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि जांच

अधिकारी ने पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और अपुष्ट रिपोर्ट दी है - रिपोर्ट परिकल्पना पर आधारित है और किसी भी सामग्री या साक्ष्य के बिना है।

30. यह ध्यान दिया जाना है कि सभी अभियोजन गवाहों, PW-1 से PW-22 तक एकमत से याचिकाकर्ता की ट्रैक पर उपस्थिति को नकार दिया था, जब उसके भतीजे-नरेश को शारीरिक दक्षता परीक्षण में भाग लेना था।

31. आश्चर्यजनक रूप से, PW-21, जिसने दूसरी प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी, जब गवाह के कटघरे में पेश हुआ, तो उसने यद्यपि इस तथ्य को स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता ट्रैक पर उपस्थित नहीं था, लेकिन उसने अपनी आशंका व्यक्त की कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, याचिकाकर्ता के प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता है।

32. जांच रिपोर्ट को सावधानीपूर्वक पढ़ने पर, इस न्यायालय को यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि जांच रिपोर्ट न केवल अनुमान और अटकलों पर आधारित है बल्कि मौखिक और प्रत्यक्ष साक्ष्य का पूर्ण गलत पठन है। यह साक्ष्य से बहुत आगे निकल गया है और 'झूठा' करार दिए जाने की सीमा तक पहुंच गया है।

33. जांच रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलता है कि जांच अधिकारी ने साक्ष्य के सार को नोटिस करने के अलावा कुछ नहीं किया था। वह न तो साक्ष्य से ठीक से निपटा था और न ही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सुसंगत तर्क दिया था। जांच अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में दिया गया तथाकथित कारण यह है कि याचिकाकर्ता उम्मीदवार-नरेश से संबंधित था और उसने अपनी स्थिति का उपयोग किया और उसे अनुचित प्रभाव देने के लिए मिलीभगत की।

34. जांच अधिकारी ने आगे दर्ज किया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती में अपने भतीजे (नरेश) की उपस्थिति के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित नहीं किया था। यह अवलोकन करते हुए कि जांच अधिकारी द्वारा लाया गया निष्कर्ष पूरी तरह से निराधार है, यह न्यायालय जल्दी से जोड़ता है कि यदि पुलिस विभाग में एक 'हेड-कांस्टेबल' इतना प्रभावशाली हो सकता है कि वह इस तरह से मामलों का प्रबंधन या यहां तक कि पैतरेबाज़ी कर सकता है, तो उत्तरदाताओं को अपने कामकाज पर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपनी भर्ती प्रक्रिया की पवित्रता पर विचार करना चाहिए।

35. प्रतिरूपक (सुखदेव) और याचिकाकर्ता के बीच संबंध स्थापित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई साक्ष्य नहीं लाया गया था। याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप और आरोप संख्या 1 को सिद्ध नहीं कहा जा सकता है।

36. जांच रिपोर्ट अनिवार्य रूप से शिवभगवान (PW-21) की गवाही पर आधारित है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी थी। उक्त शिवभगवान ने अपनी मुख्य परीक्षा में

केवल अपनी रिपोर्ट (प्रदर्शनी-पी/26) के बारे में गवाही दी है और कोई अतिरिक्त साक्ष्य नहीं दिया है।

37. यह ध्यान दिया जाना है कि इस संदेह के बावजूद कि याचिकाकर्ता पर्दे के पीछे था, जब प्रतिरूपक ने वास्तविक उम्मीदवार-नरेश के स्थान पर दौड़ में भाग लिया और सुखदेव – कांस्टेबल याचिकाकर्ता के कहने पर दौड़ा, विभाग के लिए याचिकाकर्ता और प्रतिरूपक के बीच एक कड़ी या संबंध स्थापित करना अनिवार्य था। उत्तरदाताओं, पुलिस विभाग होने के बावजूद, याचिकाकर्ता और उक्त सुखदेव की कॉल डिटेल् रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लाने में विफल रहे। प्रतिवादी वकील द्वारा PW-21 से एक स्पष्ट प्रश्न (प्रश्न संख्या 9) पूछा गया था, जिसने स्पष्ट रूप से कहा कि कॉल डिटेल् रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई थी।

38. उपरोक्त के अलावा, प्रेमदान आरपीएस (PW-22) की गवाही को जांच अधिकारी और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। PW-22 वह व्यक्ति था, जिसे महानिरीक्षक द्वारा चेस्ट नंबर 407 पहने व्यक्ति पर नजर रखने का निर्देश दिया गया था। उक्त प्रेमदान ने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि दौड़ पूरी होने पर, जब चेस्ट नंबर 407 पहने उम्मीदवार को रोका गया और पूछताछ की गई, तो उसने अपना नाम सुखदेव – कांस्टेबल बताया और अपने दोस्त नरेश का नाम लिया जिसकी ओर से वह दौड़ रहा था।

39. उक्त प्रेमदान ने यह भी गवाही दी कि जब नरेश का सामना किया गया, तो उसने स्पष्ट रूप से खुलासा किया कि सुखदेव, जिसने उसका प्रतिरूपण किया था, उसका दोस्त था, जबकि उसने अपने चाचा – याचिकाकर्ता की संलिप्तता से स्पष्ट रूप से इनकार किया। उक्त प्रेमदान ने यह भी गवाही दी कि याचिकाकर्ता मौके पर मौजूद नहीं था और पुलिस लाइंस में था, जबकि यह भी कहा कि राजा राम – हेड-कांस्टेबल को शारीरिक दक्षता परीक्षण के दौरान उसके साथ झूटी पर नहीं लगाया गया था और वह उसके बाद ही मैदान में आया था। इस न्यायालय के अनुसार, ऐसी गवाही के सामने, जांच अधिकारी याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप संख्या 1 को सिद्ध निष्कर्ष नहीं निकाल सकता था और नहीं निकालना चाहिए था।

40. रिपोर्ट और पेश किए गए साक्ष्य को देखने पर, यह न्यायालय यह समझने में असमर्थ है कि जांच अधिकारी को क्या लगा कि दोनों आरोप सिद्ध पाए गए हैं। हालाँकि, आरोप संख्या 2 इतना गंभीर नहीं था, लेकिन दौड़ में भाग लेने वाले एक डमी उम्मीदवार की खबर का केवल प्रकाशन याचिकाकर्ता को पुलिस विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाने का दोषी ठहराने का पर्याप्त कारण नहीं हो सकता है। इस संबंध में कोई

साक्ष्य पेश नहीं किया गया है और जिज्ञासु रूप से कथित समाचार रिपोर्ट को भी रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया है।

41. ऐसे महत्वपूर्ण पहलू को नजरअंदाज करते हुए और किसी भी साक्ष्य के बिना, जांच अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि खबर के प्रकाशन ने पुलिस विभाग की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। ऐसा निष्कर्ष न्यायालय की राय को मजबूत करता है कि उत्तरदाता, याचिकाकर्ता को सेवाओं से बाहर निकालने के लिए तुले हुए थे।

42. कारण जो याचिकाकर्ता को दोषी ठहराने के लिए जांच अधिकारी पर संभवतः हावी रहा होगा, वह यह था कि याचिकाकर्ता भर्ती प्रक्रिया में अपने भतीजे के भाग लेने के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करने में विफल रहा था। पहला, इस संबंध में कोई आरोप तैयार नहीं किया गया था और दूसरा, चूंकि याचिकाकर्ता को स्टेडियम में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए तैनात नहीं किया गया था, जहाँ उसके भतीजे को अपने शारीरिक दक्षता परीक्षण में उपस्थित होना था, याचिकाकर्ता में कोई गलती नहीं पाई जा सकती है, जिसने उच्च अधिकारियों को एक उम्मीदवार के साथ अपने संबंध के बारे में सूचित नहीं किया था।

43. यह ध्यान देना आश्चर्यजनक है कि 10.10.2014 को, जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी और उसी दिन, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को जवाब/प्रतिनिधित्व दायर करने के लिए केवल तीन दिन का समय देते हुए कारण बताओ नोटिस दिया। याचिकाकर्ता ने जवाब दायर किया लेकिन वह थोड़ा ही उपयोगी था।

44. जिस बात ने न्यायालय को और भी आश्चर्यचकित किया, वह यह है कि 14.10.2014 को, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़े, वह भी बर्खास्तगी का आदेश। इतनी जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नियम 1958 के नियम 16(10) के अधिदेश के स्पष्ट रूप से विपरीत है।

45. याचिकाकर्ता को फंसाने और आरोपों को सिद्ध करने के लिए, कुछ साक्ष्य या सामग्री लाने की आवश्यकता थी। वास्तव में, सभी गवाहों की गवाही के सामने कि याचिकाकर्ता घटना के स्थान पर उपलब्ध नहीं था और वह जेल प्रहरी भर्ती, 2013 में अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहा था, उचित विवेक का कोई भी व्यक्ति उस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता था, जिस पर जांच अधिकारी पहुँचा था।

46. इसके अलावा, याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्ष्य की अनुपस्थिति ने सक्षम न्यायालय द्वारा उसके बरी होने का नेतृत्व किया है। यह न्यायालय इस कानूनी स्थिति से अनजान नहीं है कि अनुशासनात्मक कार्यवाही में आवश्यक साक्ष्य की कठोरता अपराधिक मामले में अपेक्षित से बहुत हल्की होती है, लेकिन वर्तमान मामले में, इस

न्यायालय को याचिकाकर्ता के खिलाफ साक्ष्य का शायद ही कोई अंश मिलता है, जिसके लिए उसे उम्मीदवार नरेश/सुखदेव के प्रतिरूपण में सहायता या मिलीभगत में शामिल माना जा सकता है।

47. याचिकाकर्ता को एक बलि का बकरा बनाया गया है, केवल इसलिए कि वह उम्मीदवार नरेश से संबंधित था - याचिकाकर्ता को बिना किसी कारण या तुक के अपने भतीजे की गलती के लिए दंडित बल्कि पीड़ित किया गया है।

48. इसलिए, रिट याचिका स्वीकार की जाती है, हालाँकि, लागत के रूप में कोई आदेश नहीं है।

49. दिनांक 10.10.2014 की जांच रिपोर्ट, जो कोई साक्ष्य पर आधारित नहीं है और विकृत है, एतद्वारा रद्द की जाती है। परिणामस्वरूप, दिनांक 14.10.2014 का बर्खास्तगी का आदेश, जो ऐसी रिपोर्ट पर टिका है, भी एतद्वारा रद्द किया जाता है।

50. अपीलीय प्राधिकारी का आदेश, जो निराधार और गैर-वक्ता है, भी खारिज किए जाने योग्य है और एतद्वारा रद्द किया जाता है।

51. उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया जाता है - आज से 30 दिनों से बाद में नहीं। याचिकाकर्ता दिनांक 14.10.2014 से उसकी बहाली की तारीख तक की अवधि के लिए अपने वेतन और परिलब्धियों का 50% का हकदार होगा। मध्यवर्ती अवधि को स्पष्ट रूप से सभी उद्देश्यों के लिए गणना किया जाएगा, जिसमें वेतन वृद्धि और पदोन्नति शामिल है।

52. स्थगन आवेदन और सभी लंबित आवेदन तदनुसार निपटाए जाते हैं।

(दिनेश मेहता), जे

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।



एडवोकेट विष्णु जांगिड़